अनुदान संख्या 92 – वस्त्र मंत्रालय
GRANT No. 92–MINISTRY OF TEXTILES

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	11343,75,00		11858,22,00	11560,13,71	–298,08,29
पूरक	Supplementary	514,47,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					276,77,08
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	184,00,00		188,00,00	183,62,51	–4,37,49
पूरक	Supplementary	4,00,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					2,77,75

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (29808.29 लाख रु.) दिसम्बर, 2009 और मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 51447.00 लाख रु. की पूरक अनुदानों का 58 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.29808.29 lakhs) constituted 58 percent of the supplementary grants of Rs.51447.00 lakhs obtained in December, 2009 and March, 2010 and 3 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	1468.00	1537.00	1480.76	–56.24
पू.	S.	124.00			
पु.	R.	–55.00			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	44850.00				
पू.	S.	1.00		. .	. .	. .
पु.	R.	– 44851.00				
मुख्य शीर्ष "2851" ग्राम तथा लघु उद्योग	Major Head "2851" Village and Small Industries					
मू.	O.	84989.00				
पू.	S.	1329.00		103859.75	102118.56	–1741.19
पु.	R.	17541.75				
मुख्य शीर्ष "2852" उद्योग	Major Head "2852" Industries					
मू.	O.	992092.00				
पू.	S.	49993.00		1039735.17	1039415.97	–319.20
पु.	R.	–2349.83				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	10875.00				
				12980.00	12975.31	–4.69
पु.	R.	2105.00				

(I) 46711.00 लाख रु. का प्रावधान छब्बीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 46248.67 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "ग्राम तथा लघु उद्योग - हथकरघा उद्योग" -

(I) Provision of Rs.46711.00 lakhs remained wholly unutilised under twenty six heads; of these Rs.46248.67 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" –

(a) "Village and Small Industries- Handloom Industries" –

(i) ''एकीकृत हथकरघा विकास स्कीम'' - 3000.00 लाख रु.;

(ii) ''हथकरघा बुनकर बृहद् कल्याण स्कीम'' - 4000.00 लाख रु.;

(iii) ''विपणन तथा निर्यात संवर्धन स्कीम'' - 1000.00 लाख रु.;

(iv) ''विविध हथकरघा विकास स्कीम'' - 500.00 लाख रु.;

(ख) ''ग्राम तथा लघु उद्योग - हस्तशिल्प उद्योग'' -

(i) ''डिजाइन और तकनीकी उन्नयन'' - 400.34 लाख रु. (0.34 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ii) ''कल्याण और अन्य स्कीमें'' - 1800.00 लाख रु.;

(iii) ''बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प योजना'' - 1400.00 लाख रु.;

(iv) ''विपणन सहायता सेवाएं'' - 1250.00 लाख रु.;

(v) ''अनुसंधान और विकास'' - 200.00 लाख रु.;

(vi) ''मानव संसाधन विकास'' - 200.00 लाख रु.;

(ग) ''ग्राम तथा लघु उद्योग - रेशम उत्पादन उद्योग - रेशम उद्योग के विकास के लिए अनुदान'' - 1750.33 लाख रु. (0.33 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) थे;

(घ) ''उपभोक्ता उद्योग - अन्य - पटसन प्रौद्योगिकी मिशन'' - 800.00 लाख रु.;

(i) "Integrated Handloom Development Scheme" – Rs.3000.00 lakhs;

(ii) "Handloom Weavers Comprehensive Welfare Scheme" – Rs.4000.00 lakhs;

(iii) "Marketing and Export Promotion Scheme" – Rs.1000.00 lakhs;

(iv) "Diversified Handloom Development Scheme" – Rs.500.00 lakhs;

(b) "Village and Small Industries- Handicrafts Industries" –

(i) "Design and Technical Upgradation" – Rs.400.34 lakhs (including token supplementary grant of Rs.0.34 lakh);

(ii) "Welfare and Other Schemes" – Rs.1800.00 lakhs;

(iii) "Baba Saheb Ambedkar Hastshilp Yojana" – Rs.1400.00 lakhs;

(iv) "Marketing Support Services" – Rs.1250.00 lakhs;

(v) "Research and Development" – Rs.200.00 lakhs;

(vi) "Human Resource Development" – Rs.200.00 lakhs;

(c) "Village and Small Industries- Sericulture Industries- Grants towards Development of Silk Industry" – Rs.1750.33 lakhs (including token supplementary grant of Rs.0.33 lakh);

(d) "Consumer Industries - Others -Jute Technology Mission" – Rs.800.00 lakhs;

(ङ) ''ग्राम तथा लघु उद्योग - अन्य व्यय - वृहत् समूह का विकास'' - 500.00 लाख रु.; और

(च) ''उपभोक्ता उद्योग - वस्त्र'' -

(i) ''प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम'' - 25000.00 लाख रु.।

उपर्युक्त चौदह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग करने के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ii) ''परिधान पार्क के लिए एकीकृत स्कीम'' - 2000.00 लाख रु. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(iii) ''कपास प्रौद्योगिकी मिशन'' - 1000.00 लाख रु.पूर्वोत्तर राज्यों और कार्यान्वियन अभिकरणों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''उपभोक्ता उद्योग - वस्त्र'' -

(क) ''ब्रांड संवर्धन'' - 648.00 लाख रु.; और

(ख) ''मानव संसाधन विकास स्कीम'' - 800.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान योजना आयोग से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - वस्त्र मंत्रालय'' के अंतर्गत 1453.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 124.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1577.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण 98.21 लाख रु. की सीमा तक अपयुक्त रहा।

(e) "Village and Small Industries- Other Expenditure- Development of Mega Clusters" – Rs.500.00 lakhs; and

(f) "Consumer Industries- Textiles" –

(i) "Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS)" – Rs.25000.00 lakhs.

Provisions under the above fourteen heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(ii) "Integrated Scheme for Apparel Park" – Rs.2000.00 lakhs – due to non-receipt of proposals from North Eastern States including Sikkim.

(iii) "Cotton Technology Mission" – Rs.1000.00 lakhs – due to non-receipt of proposals from North Eastern States and implementing agencies.

(B) Major Head "2852" – "Consumer Industries -Textiles" –

(a) "Brand Promotion" – Rs.648.00 lakhs; and

(b) "Human Resource Development Scheme" – Rs.800.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-receipt of approval from the Planning Commission.

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat-Ministry of Textiles" – the original provision of Rs.1453.00 lakhs was augmented to Rs.1577.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.124.00 lakhs which, however, remained unutilied to the extent of Rs.98.21 lakhs - due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(III) मुख्य शीर्ष ''2851'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''हथकरघा उद्योग'' -

(क) ''एकीकृत हथकरघा विकास स्कीम'' - 150.74 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) ''विविध हथकरघा विकास स्कीम'' - 376.61 लाख रु. की बचत (1150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) ''हस्तशिल्प उद्योग''-

(क) ''अनुसंधान और विकास'' - 202.88 लाख रु. की बचत (713.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत निष्पादन अभिकरणों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(ख) ''प्रशिक्षण और विस्तार'' - 616.73 लाख रु. की बचत (3943.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''अन्य व्यय - वृहत् समूहों का विकास'' - 1006.92 लाख रु. की बचत (4500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने और कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा स्कीम की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''उपभोक्ता उद्योग - वस्त्र'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "2851" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Handloom Industries" –

(a) "Integrated Handloom Development Scheme" – saving of Rs.150.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs);

(b) "Diversified Handloom Development Scheme" – saving of Rs.376.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1150.00 lakhs); and

(B) "Handicrafts Industries" –

(a) "Research and Development" – saving of Rs.202.88 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.713.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-receipt of viable proposals from the implementing agencies.

(b) "Training and Extension" – saving of Rs.616.73 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3943.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(C) "Other Expenditure - Development of Mega Clusters" – saving of Rs.1006.92 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4500.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals and slow progress of the scheme by the implementing agencies.

(IV) Under Major Head "2852" – "Consumer Industries – Textiles" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''वस्त्र श्रमिक पुनर्वास स्कीम'' - 1494.00 लाख रु. की बचत (4000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने और स्कीम की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(A) "Textile Labour Rehabilitation Scheme" – saving of Rs.1494.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4000.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals and slow progress of the scheme.

(खा) ''प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम'' - 360.00 लाख रु. की बचत (0.25 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 289000.25 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(B) "Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS)" – saving of Rs.360.00 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.289000.25 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.25 lakh) was due to non-receipt of viable proposals from the implementing agencies.

(गा) ''एकीकृत वस्त्र उद्यान'' - 11620.25 लाख रु. की बचत (37700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के अंतर्गत चालू परियोजनाओं की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(C) "Integrated Textile Parks" – saving of Rs.11620.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.37700.00 lakhs) was due to slow progress of ongoing projects under the scheme.

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत 147.70 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत और 77 प्रतिशत थीं।

(V) Under two heads savings of Rs.147.70 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 13 percent and 77 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान के बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (22442.80 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 51322.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2.(I) The above savings were partly (Rs.22442.80 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.51322.00 lakhs under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2851'' -

(क) ''हथकरघा उद्योग - हथकरघा विकास'' - 568.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 558.95 लाख रु. था।

(ख) ''रेशम उत्पादन उद्योग - केंद्रीय रेशम बोर्ड'' - 8790.33 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 8796.67 लाख रु. था।

(ग) ''बिजलीकरघा उद्योग'' -

(i) ''समूह बीमा योजना'' - 150.00 लाख रु. तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 113.16 लाख रु. था।

(A) Major Head "2851" –

(a) "Handloom Industries – Handloom Development" – Rs.568.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.558.95 lakhs;

(b) "Sericulture Industries – Central Silk Board" – Rs.8790.33 lakhs. Actual excess, however, was Rs.8796.67 lakhs.

(c) "Powerloom Industries" –

(i) "Group Insurance Scheme" – Rs.150.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.113.16 lakhs.

(ii) "समूह वर्कशेड स्कीम'' - 189.90 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 174.92 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष "2852'' - "उपभोक्ता उद्योग'' -

(क) "वस्त्र'' -

(i) "अनुसंधान और विकास के लिए सहायता'' - 10489.33 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 10488.75 लाख रु. था।

(ii) "विदेशी निवेश संवर्धन स्कीम'' - 420.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 399.27 लाख रु. था।

(iii) "पटसन सहित तकनीकी वस्त्र'' - 1200.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1197.75 लाख रु. था।

(ख) "अन्य - पटसन'' - 635.24 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 528.28 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "2851'' -

(क) "हथकरघा उद्योग'' -

(i) "विपणन एवं निर्यात संवर्धन स्कीम'' - 959.27 लाख रु. का अधिक व्यय (3000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ii) "हथकरघा बुनकर वृहद् कल्याण स्कीम'' - 3971.04 लाख रु. का अधिक व्यय (7925.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ii) "Group Workshed Scheme" – Rs.189.90 lakhs. Actual excess, however, was Rs.174.92 lakhs.

(B) Major Head "2852" – "Consumer Industries" –

(a) "Textiles" –

(i) "Assistance for Research and Development" – Rs.10489.33 lakhs. Actual excess, however, was Rs.10488.75 lakhs.

(ii) "Foreign Investment Promotion Scheme" – Rs.420.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.399.27 lakhs.

(iii) "Technical Textile including Jute" – Rs.1200.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1197.75 lakhs.

(b) "Others – Jute" – Rs.635.24 lakhs. Actual excess, however, was Rs.528.28 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2851" –

(a) "Handloom Industries" –

(i) "Marketing and Export Promotion Scheme" – excess of Rs.959.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3000.00 lakhs); and

(ii) "Handloom Weavers Comprehensive Welfare Scheme" – excess of Rs.3971.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7925.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ख) ''हस्तशिल्प उद्योग'' -

(i) ''डिजाइन और तकनीकी विकास'' - 351.13 लाख रु. का अधिक व्यय (5165.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ii) ''कल्याण और अन्य स्कीमें'' - 1555.62 लाख रु. का अधिक व्यय (5860.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और जयश्री बीमा योजना और राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत ज्यादा शिल्पकारों को लाने के कारण हुआ।

(iii) ''बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प योजना'' - 972.24 लाख रु. का अधिक व्यय (4609.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(iv) ''विपणन सहायता और सेवाएं'' - 798.09 लाख रु. का अधिक व्यय (4046.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(v) ''मानव संसाधन विकास'' - 299.34 लाख रु. का अधिक व्यय (422.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और गुरू शिष्य परंपरा

(b) "Handicrafts Industries" –

(i) "Design and Technical Development" – excess of Rs.351.13 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5165.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds for implementation of Sixth Central Pay Commission Report.

(ii) "Welfare and Other Schemes" – excess of Rs.1555.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5860.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and coverage of more artisan under Jai Shree Bima Yojana and Rajiv Gandhi Shilpi Swasthya Bima Yojana.

(iii) "Baba Saheb Ambedkar Hastshilp Yojana" – excess of Rs.972.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4609.00 lakhs); and

(iv) "Marketing Support and Services" – excess of Rs.798.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4046.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on the projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(v) "Human Resource Development" – excess of Rs.299.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.422.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on the projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and

स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

requirement of additional funds under Gurushishya Prampara Scheme.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - ग्राम तथा लघु उद्योग - हथकरघा उद्योग - एकीकृत हथकरघा विकास स्कीम" - 2200.31 लाख रु. का अधिक व्यय (8500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(B) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Village and Small Industries – Handloom Industries - Integrated Handloom Development Scheme" – excess of Rs.2200.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8500.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (437.49 लाख रु.) मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 400.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.437.49 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.400.00 lakhs obtained in March, 2010 and constituted 2 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	150.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–150.00			
मुख्य शीर्ष "4851" ग्राम और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4851" Capital Outlay on Village and Small Industries				
मू.	O.	1700.00	1972.25	1815.80	–156.45
पू.	S.	400.00			
पु.	R.	–127.75			

(I) 150.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष ''4552'' - ''ग्राम और लघु उद्योग - हस्तशिल्प उद्योग - हस्तशिल्प भवन के लिए इमारत'' के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.150.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552" – "Village and Small Industries-Handicrafts Industries – Building for Handicraft Bhawan" – due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष ''4851'' - ''हथकरघा उद्योग - बुनकर सेवा केंद्र/भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए अवसंरचना'' के अंतर्गत 250.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 400.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 650.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो निष्पादन अभिकरणों द्वारा स्कीम की धीमी प्रगति होने के कारण 73.07 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "4851" – "Handloom Industries – Infrastructure for Weavers Service Centre/Indian Institute of Handloom Technology" – the original provision of Rs.250.00 lakhs was augmented to Rs.650.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.400.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.73.07 lakhs – due to slow progress of the scheme by the implementing agencies.

(III) मुख्य शीर्ष ''4851'' - ''हस्तशिल्प उद्योग - हस्तशिल्प भवन सहित इमारत का निर्माण'' के अंतर्गत 211.13 लाख रु. की बचत (450.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम से पूंजीगत परियोजनाओं के लिए व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने और निष्पादन अभिकरणों द्वारा पूर्ण होने के करीब परियोजना की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "4851" – "Handicraft Industries – Construction of Building including Handicraft Bhawan" – saving of Rs.211.13 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.450.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals for capital projects from North Eastern Region and Sikkim and slow progress by the implementing agencies, project being near completion.